

- 5- राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई0ओ0सी0 देहरादून/बरेली को एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को उक्त के दृष्टिगत आपदा हेतु अतिरिक्त मांग पर मिट्टी तेल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 6- जिलापूर्ति अधिकारी, चमोली।
- 7- प्रमुख निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 8- महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
- 9- समन्वयक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय देहरादून।
- 10- प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(एन0एस0 डुगरियाल)  
उप सचिव

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
चमोली।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 29 मई, 2018

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु अतिरिक्त मिट्टी तेल का आवंटन।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-608/XIX-1/18-मि0ते0आवं0-112/2002 दिनांक 04.05.2018 द्वारा वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास हेतु जनपदों को मिट्टी तेल आवंटित किया गया है। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली की विषम भौगोलिक स्थिति, चारधाम यात्रा मार्ग तथा आगामी मानसून एवं आपदा के दृष्टिगत जिलाधिकारी चमोली के पद: संख्या-139/जि0पू0अ0/पी0पी0मि0ते0आ0/2018-19 दिनांक 07.05.2018 में किये गये अनुरोध के क्रम में एतद्वारा जनपद चमोली हेतु शासनादेश दिनांक 04.05.2018 द्वारा आवंटित मिट्टी तेल के अतिरिक्त वर्ष-2018-19 हेतु 88 के0एल0 मिट्टी तेल आवंटन अतिरिक्त रूप से निम्नवत् आवंटित किया जाता है:-

क्र.स.	कम्पनी	थोक विक्रेता का नाम	अतिरिक्त मांग
1.	IOC	मै0 मंगूमल चन्द्रप्रकाश, कर्णप्रयाग- चमोली।	39 के0एल0
2.	IOC	मै0 ऋषि कुमार, सुशील कुमार थोक मि0ते0 विक्रेता-गैरसैण चमोली।	35 के0एल0
3.	IOC	लक्ष्मी ऑयल डिस्टीब्यूटर्स (ऊखीमठ) पोखरी।	14 के0एल0
		कुल योग	88 के0एल0

2- उक्त आवंटित तेल का उपभोग केवल आपदा जैसी विषम एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जायेगा। किसी भी रूप में प्रश्नगत तेल का वितरण/उपभोग सामान्य रूप में न किया जाय।

3- प्रश्नगत आवंटित तेल के उपभोग पर जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर मासिक समीक्षा की जायेगी और उसके युक्तियुक्त उपभोग का मासिक विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-757 (1)/XIX-1/18-मि0ते0आवं0-112/2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- उप सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त गढ़वाल, पौड़ी।